an>

Title:Need to release fund to establish de-addiction and rehabilitation Centre in Jodhpur Parliamentary Constituency.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वÂाऩ 1985 में भारत सरकार ने अन्य देशों के साथ एक अंतर्राÂट्रीय संधि की थी, जिसके अनुसार उसे अपने यहां अफीम के पौधों का उत्पादन और अफीम की खेती बंद करनी थी। साथ ही साथ उस संधि के अनुसार अफीम की जो नीति बनायी गयी, उसके अनुरूप तीन साल के अंदर जितने भी लोग डोडा पोस्त नशे के आदी हैं, उन सबको नशा मुक्त कराना था। वÂाऩ 1985 में भारत की अफीम नीति बनी, उसके बाद तीस साल तक उस दिशा में कोई भी ठोस काम नहीं हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर से लेकर बीकानेर, इन दोनों डिवीजन्स के लगभग सारे जिलों में, थार रेगिस्तान में परम्परागत रूप से लोग अफीम और डोडा पोस्त का सेवन करते हैं। अब इस संधि के कारण एकदम अफीम का उत्पादन बंद करने और डोडा पोस्त के उत्पादन और सर्कुलेशन का दबाव बढ़ा है। जबकि पिछले तीस साल से संधि करने के बावजूद सरकार के ठेकों के माध्यम से गांव-गांव तक डोडा पोस्त का नशा उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में स्थिति यह बन गयी है कि जब एकदम प्रोडक्शन कम किया गया, तो उसके कारण लाखों-हजारों लोग जो नशे के आदी हैं, वे पंक्तियों में तीन-चार और पांच घंटे तक खड़े रहते हैं। इस कारण डोडा पोस्त की कालाबाजारी होने लगी है। अब सरकार इसे बंद करने जा रही है। लेकिन डी-एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन की दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है, इसलिए हजारों लोगों का जीवन खतरे में आ गया है। हमारी राज्य सरकार ने जोधपुर में डी-एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सैंटर बनाने के लिए एक प्रपोजल भेजा है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सैंटर के लिए जो 175 करोड़ रुपये की मांग की गयी है, वह तुरंत घोÂिात करें, ताकि लोगों को डी-एडिक्शन करके राहत प्रदान की जा सके।

HON. DEPUTY SPEAKER:

Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Gajendra Singh Shekhawat.